जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

189/15 A3/1

अपील सूचना का अधिकार संख्या 189/2015 श्री डूंगरमल पुत्र श्री सहीराम सीगड निवासी चक 18 एनपी पो.ओ. 22 एनपी (मोहननगर) तहसील रायसिंहनगर बनाम तहसीलदार, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20–01–2016

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री डूंगरमल को रूक रूक कर आवाज लगवाई गई किन्तु वे उपस्थित नही आए। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री डूंगरमल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रा0 पत्र दिनांक 07.10.2015 के द्वारा तहसीलदार, रायसिंहनगर से निम्न सूचनाएं चाही थीः–

> चक 18 एन.पी. में खाले व रास्ते के गैरमुमकीन (सरकारी भूमि) पर कितने रकबे पर संबंधित काश्तकारी ने अतिक्रमण कर रखा है इसी सूचना निम्न प्रपत्र में बनाकर देवेंः–
> मु0न0 किला न0 कुल रकबा अतिक्रमण काश्तकार का नाम

अपीलार्थी श्री डूंगरमल द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा चाही गई उक्त सूचना तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

अपीलार्थी के अपीलपत्र के संबंध में तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर द्वारा प्रतिवेदन संख्या 178 दिनांक 18.01.2016 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी डूंगरमल को पत्र सं0 4322 दिनांक 28.12.2015 द्वारा सूचित कर दिया गया था कि चाही गई सूचना के संबंध में आप कार्यालय समय में उपस्थित आकर रिकार्ड का निरीक्षण कर वांछित रिकार्ड की नकल नियमानुसार फीस जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है।

तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर ने अपीलार्थी को उसके सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र के संबंध में पत्र संख्या भू.अ./15/4322 दिनांक 28.12.2015 से निम्नानुसार सूचित किया गया हैः–

> आप द्वारा तहसील रायसिंहनगर के चक 18 एनपी के खाले व रास्ते के गैर मुमकिन (सरकारी भूमि) भूमि कितने रकबे पर संबंधित काश्तकारी द्वारा अतिक्रमण कर रखा है, कि सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत चाही गई है। इस संबंध में आप कार्यालय समय में उपस्थित आकर रिकार्ड का निरीक्षण कर चाहे गये रिकार्ड की नकल नियमानुसार फीस जमा करवा कर प्राप्त कर सकते है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर
189/15

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए किसी निश्चित दस्तावेज के रूप में न होकर बल्कि अपने द्वारा तैयार किये प्रपत्र में सूचना तैयार कर चाही गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में जिस रूप में उपलब्ध हो। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है और चाही गई सूचना प्रश्नात्मक नही होनी चाहिए। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को देखते हुए तहसीलदार, रायसिंहनगर को निदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी उपलब्ध रिकार्ड का निरीक्षण कर उपलब्ध अभिलेख में से कोई निश्चित उपलब्ध सूचना लेना चाहे तो उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। तहसीलदार रायसिंहनगर को यह भी हिदायत की जाती है कि अपीलार्थी को निर्धारित समय सीमा 30 दिवस में उत्तर नही भिजवाया गया है। भविष्य में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन पत्रो का निस्तारण निर्धारित समय में ही किया जाना चाहिए। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भेजी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर